

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 22, सोमवार, १९७६- जनवरी 12, 2026 Pausa 22, Monday, Saka 1947- January 12, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 29, 2025

संख्या:50/भू.अ./ज.स./2025/1833-1837:- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चित्तौड़गढ़ जिले के श्रीपुरा के पास ब्राहमणी नदी पर ब्राहमणी बैराज के निर्माण में आने वाली भूमि को अवाप्ति किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में संलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु उप महाप्रबन्धक, आर.डब्ल्यू.जी.सी.एल., सब पी.आई.यू. ब्राहमणी को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रावतभाटा होंगे।

विवरण

महाप्रबन्धक, आरडब्ल्यूजीसीएल, पी आई यू-कोटा के अन्तर्गत चित्तौड़गढ़ जिले के श्रीपुरा के पास ब्राहमणी नदी पर ब्राहमणी बैराज के निर्माण में आने वाली भूमि हेतु भूमि अर्जन पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही

बाबत विवरण:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील का नाम	जिला	भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	चित्तौड़गढ़ जिले के श्रीपुरा के पास ब्राहमणी नदी पर ब्राहमणीबैराज के निर्माण	श्रीपुरा	श्रीपुरा	रावतभाटा	चित्तौड़गढ़	उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा
2		भुंजरकलां				
3		भुंजरखुर्द				
4		लोठियाना	धागंडमऊकलां			
5		खुमानगंज				

6		धागंडमऊकलां				
7		धागंडमऊखुर्द				

फार्म-2

(देखे-नियम-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा

(ग)	परियोजना विकासकर्ता का नाम	महाप्रबन्धक, ई आर सी पी सी एल, पी आई यू- कोटा
(ख)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।	चित्तौड़गढ़ जिले के श्रीपुरा के पास ब्राह्मणी नदी पर ब्राह्मणी बैराज के निर्माण तहसील- रावतभाटा, जिला- चित्तौड़गढ़ योजनान्तर्गत कुल क्षेत्रफल 759.65 हेक्टर भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है।
(ग)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत: (i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई/ सुनवाईयां भी दें।	1) परामर्श 2) सर्वेक्षण 3) सार्वजनिक सुनवाई
(घ)	यदि ग्राम सभा और / या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नहीं है।
(ड)	सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया एवं समय के अनुसार
(च)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जाएगी	हाँ

(छ)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी।	महाप्रबन्धक, आरडब्ल्यूजीसीएल, पी आई यू-कोटा
-----	--	---

महेश कुमार राठी,
उप सचिव एवं अधी. अभि. (लैण्ड बैंक),
कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।